



पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र)/गुप-II/परिपत्र/ 690079 दिनांक : 04.06.2024

अति आवश्यक

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता (संबन्धित खण्ड)
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों के मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा राज्य लेखे में शामिल करने में विलंब होता है । यद्यपि ससमय लेखा प्रेषित करने हेतु समय समय पर पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, किंतु कुछ खण्डों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में अत्यंत विलंब किया जाता है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु, निर्देशित किया है कि खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व प्रेषित कराना सुनिश्चित करें । विलंब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड की होगी।

भवदीय

Signed by Chauharja  
Prasad Singh

वरि0लेखाधिकारी/नि0स0(प्र)20

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र)/गुप-II/परिपत्र/ 690080  
दिनांक : 04.06.2024

प्रतिलिपि-1. संबन्धित खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें ।

2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग उ०प्र० लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

Sd/  
वरि0लेखाधिकारी/नि0स0(प्र0)